



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 471 राँची, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

15 सितम्बर, 2020

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित सुपात्र 15 (पन्द्रह) लाख लाभुकों को राज्य सरकार के मापदण्ड पर "झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme)" के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने के संबंध में।

संख्या-खा.प्र. 01/झा०रा०खा०सु०यो०/06-07/2020-2413,--राज्य में माह अक्टूबर, 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू है। अधिनियम के प्रावधानानुसार खाद्यान्न वितरण की दो योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं -

- (i) अन्त्योदय अन्न योजना, जिसके अन्तर्गत लाभुकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से वितरित किया जाता है,
- (ii) पूर्वविकता प्राप्त गृहस्थ योजना जिसके अन्तर्गत लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह की दर से वितरित किया जाता है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य की 86.48% ग्रामीण आबादी एवं 60.20% शहरी आबादी को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस आधार पर भारत सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 2,64,25,385 निर्धारित की गयी है। वर्तमान में अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 99% लाभुकों को आच्छादित किया जा चुका है।

3. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2011 की जनगणना आँकड़ों के आधार पर ही अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें वृद्धि अगली जनगणना आँकड़ों के आधार पर ही संभव है।

वर्ष 2011 की जनगणना आँकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 3,29,88,134 है। जबकि राज्य के लिए जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 22.30% है। इस वृद्धि दर के आलोक में राज्य की वर्तमान जनसंख्या 4 करोड़ के आस-पास होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

4. वर्तमान में अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित होने हेतु लगभग 9.5 लाख राशनकार्ड आवेदन लंबित हैं, जिसमें आच्छादित होने वाले लाभुकों की संख्या लगभग 28 लाख है। वर्तमान में कई ऐसे लाभुक हैं, जो अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित होने हेतु पात्रता रखते हैं किन्तु रिकित्याँ नहीं होने के कारण उन्हें आच्छादित करना संभव नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार ऐसे लाभुक पात्रता रखने के बावजूद भी खाद्यान्न के लाभ से वंचित हैं।

5. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-32 (परिशिष्ट-1) के तहत केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को खाद्य आधारित कल्याण योजनाओं का संचालन जारी रखने अथवा ऐसी योजनाओं का सूत्रण करने का अधिकार दिया गया है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित राज्य के 15 लाख सुपात्र लाभुकों को प्रति लाभुक 05 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रतिमाह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

7. इस हेतु संचालित की जाने वाली योजना का नामकरण **"झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme)"** किए जाने का निर्णय लिया जाता है।

8. इस योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित लाभुकों को आच्छादित किया जाना है जिनके चयन हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये हैं:-

समावेशन मानक (Inclusion Criteria)

- (a) सभी व्यक्ति, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत्त न हों।
- (b) सभी विधवा, परित्यक्ता एवं Transgender, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत्त न हों।
- (c) 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाले वैसे सभी निःशक्त, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/ प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हों।
- (d) सभी आदिम जनजाति (PVTG-Particularly Vulnerable Tribal Group) के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित न हों।
- (e) सिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार कैंसर/ एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/ उद्यम/प्रक्रम/ उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/ नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हों।
- (f) अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/ नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित न हों।
- (g) सभी भिखारी एवं गृहविहीन व्यक्ति।
- (h) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper)।

- (i) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker)/रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela/ Hand Cart Puller)।
- (j) फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/नलसाज (Plumber)/माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)।

अपवर्जन मानक (Exclusion Criteria)

- (a) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित हो, अथवा;
- (b) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य आयकर/सेवा कर/व्यवसायिक कर/GST देता हो, अथवा;
- (c) वैसे परिवार, जिनके पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो अथवा;
- (d) वैसे परिवार, जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन हों, अथवा;
- (e) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो, अथवा;
- (f) प्रधानमंत्री आवास योजना से अनाच्छादित वैसे परिवार, जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का पक्का मकान हो, अथवा;
- (g) वैसे परिवार, जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) हो।

9. इस योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले 15 लाख सुपात्र लाभुकों का जिलावार लक्ष्य वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिलावार जनसंख्या के आलोक में अनुपातिक रूप से संलग्न विवरणी (परिशिष्ट-2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

10. संबंधित योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों का पंचायतवार/प्रखण्डवार लक्ष्य संबंधित जिलों द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुपात में तैयार किया जायेगा।

11. निर्धारित किये गये पंचायतवार/शहरी वार्ड स्तरीय लक्ष्य के अनुरूप राशनकार्ड तैयार करने के निमित्त इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

संबंधित योजनान्तर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिला सदस्य परिवार की मुखिया होंगी तथा इसी के अनुरूप आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिला सदस्य न होने की स्थिति में सबसे अधिक आयु के पुरुष सदस्य संबंधित परिवार के मुखिया होंगे किन्तु परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिला आ जाने की स्थिति में महिला सदस्य ही संबंधित परिवार के मुखिया होंगी।

12. इस क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पूर्व में समर्पित समस्त लंबित आवेदन पत्रों को इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन समर्पित किये जायेंगे, जिसमें आवेदकों की सम्पूर्ण विवरणी, स्वघोषणा के साथ-साथ आधार संख्या, मोबाईल नम्बर, बैंक खाता नम्बर, इत्यादि सूचनाएँ अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्पित किये जाने में समस्या होने की स्थिति में ऑफलाइन आवेदन पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समावेशन/अपवर्जन मानक के संदर्भ में संबंधित पंचायत सेवक/आँगनबाड़ी सेविका/प्रधानाध्यापक/ शिक्षक के द्वारा आवेदन जाँच करते हुए दोगुनी संख्या में आवेदकों की प्रारूप प्राथमिकता सूची (Draft Priority list) तैयार की जायेगी, जिसका प्रारूप प्रकाशन जिले की वेबसाइट तथा प्रखण्ड/पंचायत/शहरी वार्ड स्तरीय कार्यालय में किया जायेगा।

प्रकाशित की गयी प्रारूप प्राथमिक सूची पर आपत्तियाँ प्राप्त करते हुए संलग्न कार्यक्रम (परिशिष्ट-3) के अनुसार आपत्तियों का निराकरण संबंधित पंचायत के मुखिया/शहरी क्षेत्र के वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत स्तरीय/शहरी वार्ड स्तरीय सभा के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें संबंधित पंचायत के पंचायत सेवक, पंचायत में अवस्थित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/शिक्षक, संबंधित पंचायत के आँगनबाड़ी सेविका एवं पंचायत कार्यकारिणी/वार्ड कार्यकारिणी के समस्त सदस्य भाग लेंगे। इस बैठक की उपस्थिति दर्ज कराते हुए विधिवत् कार्यवाही तैयार की जायेगी, जिसकी हार्ड कॉपी पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर तथा सॉफ्ट कॉपी जिला स्तर पर संधारित की जायेगी। बैठक की कार्यवाही तैयार करने का दायित्व संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पंचायत स्तरीय कर्मों पर होगा।

13. निर्धारित लक्ष्य के डेढ़ गुणा संख्या में आवेदकों की अंतिम प्राथमिकता सूची (Final Priority list) तैयार करने के क्रम में परिशिष्ट-4 पर वर्णित अधिमानता को दृष्टिगत रखते हुए क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी। प्राथमिकता सूची तैयार करने के क्रम में किसी एक श्रेणी के लाभुक परिवारों के मुखिया की जन्मतिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले आवेदकों को पारस्परिक वरीयता प्रदान की जायेगी।

पंचायत स्तरीय/शहरी वार्ड स्तरीय सभा का यह दायित्व होगा कि अंतिम प्राथमिकता सूची में उक्त पंचायत/वार्ड के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति का नाम किसी भी हालत में छूटने न पाए, जिस क्रम में विशेष परिस्थिति में उपर्युक्त वर्णित अधिमानता सूची को उस हद तक अवक्रमित किया जा सकेगा।

14. आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् संबंधित पंचायत/शहरी वार्ड स्तरीय सभा की अनुशंसा के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा प्राथमिकता सूची एवं लक्ष्य के आलोक में संबंधित योजनान्तर्गत लाभुकों को **हरा रंग का पृथक राशन कार्ड** निर्गत किया जायेगा तथा शेष लाभुकों का प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। यह राशन कार्ड विभागीय पोर्टल **www.aahar.jharkhand.gov.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

15. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलावार आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गयी है। अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों का Addition एवं Deletion एक सतत् प्रक्रिया है जिसके कारण जिलावार रिक्तियाँ घटती बढ़ती रहती हैं। जिलावार रिक्तियों के आलोक में ही अधिनियम के तहत नये लाभुकों को आच्छादित करते हुए नया राशनकार्ड निर्गत किया जा सकता है।

16. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित जिले के झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित समस्त लाभुकों की पंचायतवार/शहरी वार्ड स्तरीय प्राथमिकता सूचियों को सम्मिलित करते हुए परिशिष्ट-4 के आधार पर जन्म तिथि की अधिमानता के अनुरूप जिलास्तरीय प्राथमिकता सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। जिलास्तरीय प्राथमिकता सूची से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्पन्न रिक्तियों के आलोक में नये लाभुकों को आच्छादित किया जायेगा।

इस क्रम में झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभुकों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत स्थानांतरण होने की स्थिति में इतनी ही संख्या में उक्त पंचायत की प्रतीक्षा सूची से नये लाभुकों का समावेशन इस योजना में किया जायेगा।

17. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक माह के **प्रथम सोमवार** को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत राशनकार्ड में सदस्यों को जोड़ने एवं हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

तत्पश्चात् उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में माह के **द्वितीय सोमवार** को झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से लाभुकों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत स्थानांतरण किया जायेगा।

स्थानांतरण के पश्चात् झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध माह के **तृतीय सोमवार** को पूर्व से तैयार प्रतीक्षा सूची से उतनी ही संख्या में लाभुकों को आच्छादित किया जायेगा।

इस प्रकार यह प्रक्रिया हर माह सतत् रूप से जारी रहेगी।

18. संबंधित योजनान्तर्गत खाद्यान्न (चावल) की प्राप्ति प्रथमतः भारतीय खाद्य निगम/किसी अन्य राज्य के खाद्य निगम के माध्यम से अथवा NeML के माध्यम से Reverse Auction द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस हेतु **प्रत्येक छःमाही** के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची के स्तर से Reverse Auction किया जायेगा। आमंत्रित की जानेवाली निविदा की शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित की जायेंगी। चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा खाद्यान्न झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रखण्ड स्थित गोदामों में पहुँचाया जायेगा, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को अलग से परिवहन शुल्क नहीं दिया जायेगा।

19. संबंधित योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न प्राप्त करने की स्थिति में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को नियमानुसार 75.00 रुपये क्वींटल की दर से संचलन अनुदान दिया जायेगा।

दूसरी ओर चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा खाद्यान्न झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम तक पहुँचाने की स्थिति में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को खाद्यान्न के सुरक्षित भण्डारण हेतु 25/- रुपये प्रति क्वींटल की दर से राशि दी जायेगी।

20. संबंधित योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्न के डोर स्टेप डिलिवरी हेतु अधिकतम 40 रुपये प्रति क्वींटल की दर से एवं डीलर कमीशन हेतु 100 रुपये प्रति क्वींटल की दर से व्यय भारित होगा। इस क्रम में लाभुकों से प्राप्त एक रुपये प्रति किलोग्राम की उपभोक्ता राशि डीलर कमीशन के रूप में जनवितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा रख लिया जायेगा।

21. संबंधित योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण आधार आधारित Biometric Authentication के आधार पर ई-पॉस मशीन के माध्यम से जनवितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा किया जायेगा।

22. संबंधित योजनान्तर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यान्न के संबंध में प्राप्त विपत्रों के विरुद्ध अनुमान्य राशि का भुगतान भारतीय खाद्य निगम/चयनित आपूर्तिकर्ता को संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस क्रम में आपूर्ति की गई खाद्यान्न की मात्रा के आलोक में विभाग स्तर से राशि का आवंटन संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को किया जायेगा जिसमें खाद्यान्न की राशि तथा खाद्यान्न वितरण कार्य हेतु भारित अन्य व्यय की राशि सन्निहित होगा।

23. संबंधित योजनान्तर्गत समस्त तकनीकी कार्य एवं आंकड़ों का संग्रहण NIC एवं विभागीय आहार पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही, खाद्यान्न के आपूर्ति, भण्डारण, परिवहन एवं लाभुकों के बीच वितरण तथा संबंधित योजनान्तर्गत आवंटित राशि के व्यय का अनुश्रवण खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के स्तर से किया जायेगा।

24. प्रस्ताव एवं संलेख पर योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

- (i) प्रसंगाधीन योजना का कार्यान्वयन उपलब्ध बजटीय उपबंध के अंतर्गत कराई जाय।
- (ii) चालू वित्तीय वर्ष के अवशेष बचे महीनों के लिए ही प्रस्ताव पर सहमति दी गई है।

25. संबंधित योजना के लिए रुपये 2250.00/- प्रति क्वींटल की दर से चावल का औसत मूल्य मानते हुए खाद्यान्न का मूल्य एवं वितरण कार्य पर भारित अन्य व्यय के साथ एक माह का अनुमानित व्यय रुपये 17.74 करोड़ एवं वार्षिक अनुमानित व्यय रुपये 213.00 करोड़ है।

26. मंत्रिपरिषद् द्वारा संबंधित योजना की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि इस योजना का लाभ दिनांक 15 नवम्बर, 2020 से दिया जाय तथा योजना कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय। इस प्रकार वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह नवम्बर 2020 से मार्च 2021 यथा 05 (पाँच) माह हेतु कुल अनुमानित व्यय रुपये 88.70 करोड़ होगा। वर्तमान में संबंधित योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर्णांकित राशि रुपये 140.22 करोड़ है।

27. संबंधित योजनान्तर्गत राशि की स्वीकृति बजटशीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-उप शीर्ष-66-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित गरीब लाभुकों को खाद्यान्न वितरण योजना के तहत किया जायेगा।

28. प्रस्ताव एवं संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.09.2020 की बैठक की मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

अरुण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट-2**झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों की संख्या का निर्धारण**

क्रमांक	जिला का नाम	2011 की जनगणना आँकड़ों के अनुसार जिलावार जनसंख्या	झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम जिलावार संख्या
1	गढ़वा	1322784	60148
2	चतरा	1042886	47421
3	कोडरमा	716259	32569
4	गिरिडीह	2445474	111198
5	देवघर	1492073	67846
6	गोड्डा	1313551	59728
7	साहेबगंज	1150567	52317
8	पाकुड़	900422	40943
9	धनबाद	2684487	122066
10	बोकारो	2062330	93776
11	लोहरदगा	461790	20998
12	पूर्वी सिंहभूम	2293919	104307
13	पलामू	1939869	88208
14	लातेहार	726978	33056
15	हजारीबाग	1734495	78869
16	रामगढ़	949443	43172
17	दुमका	1321442	60087
18	जामताड़ा	791042	35970
19	राँची	2914253	132514
20	खँटी	531885	24185
21	गुमला	1025213	46617
22	सिमडेगा	599578	27263
23	पश्चिमी सिंहभूम	1502338	68313
24	सरायकेला-खरसावाँ	1065056	48429
dqy		32988134	1500000

परिशिष्ट-3

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभुकों को आच्छादित करने हेतु कार्य योजना की सूची एवं समयावधि

क्रमांक	कार्य योजना	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि
1	आवेदन आमंत्रण सूचना का प्रकाशन	17.09.2020	-
2	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि	17.09.2020	30.09.2020
3	प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जाँच अवधि	01.10.2020	10.10.2020
4	प्राथमिकता सूची का प्रारूप प्रकाशन अवधि	11.10.2020	15.10.2020
5	आपत्ति आमंत्रण की अवधि	15.10.2020	21.10.2020
6	आपत्ति निष्पादन अवधि	21.10.2020	31.10.2020
7	प्राथमिकता सूची अंतिम प्रकाशन अवधि	01.11.2020	10.11.2020

परिशिष्ट-4

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभुकों की प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु क्रमवार मानक

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत सुपात्र लाभुकों की प्राथमिकता सूची निम्न वर्णित मानकों के आधार पर क्रमवार तैयार की जाएगी:-

- (i) आदिम जनजाति परिवार
- (ii) विधवा/परित्यक्ता/ Transgender
- (iii) 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति
- (iv) कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित
- (v) अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार
- (vi) अनुसूचित जनजाति
- (vii) अनुसूचित जाति
- (viii) अन्यान्य

नोट:- किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत सुपात्र आवेदकों को उनकी जन्म तिथि के आधार पर, अधिक उम्र वाले आवेदकों को पारस्परिक प्राथमिकता देते हुए तय की जाएगी।
